

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

संख्या: ई0एक्स0एन0-डी (6)-3/2024

दिनांक: शिमला-02,

18/02/2026

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1936 को अधिनियम संख्यांक 14) की धारा 13 की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेन्द्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्ज, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेन्द्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) अमेंडमेंट रूल्ज, 2026 है।

(2) यह नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रूल 6-बी का संशोधन।

सेन्द्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्ज, 1970 के रूल 6 बी के सब रूल (2) में प्रोविजो के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“provided that where any dealer submits an application online to an Assessing Authority after six months from the date of generation of such declaration/certificate, the Assessing Authority or any other Officer authorized by the Commissioner of State Taxes and Excise after affording such dealer reasonable opportunity of being heard to the applicant may compound the delay by imposing a penalty of 0.1% of the value of the fresh forms or Rs. 50,000/-, whichever is higher and shall recommend the cancellation of such forms and re-issuance of fresh forms as requested to the Joint Commissioner (Enforcement, Tax Payer Services & Allied Taxes) of the concerned zone for approval.”

ओदश द्वारा

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रकाशन संख्या: ई0एक्स0एन0-डी (6)-3/2024

दिनांक: शिमला-2,

18/02/2026

निम्नलिखित को सूचना व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. राज्य कर एवं आबकारी हिमाचल प्रदेश।

2. सहायक अतिरिक्त / संयुक्त / उप / सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी हिमाचल प्रदेश।

3. सहायक अतिरिक्त प्रतियां।

Supdt (A1)

Addl. CST & E (HQ./GST/Excise/IT/A. Tax./TAU/LTPU)
Jt. CST & E (HQ./GST/Excise/IT/A. Tax./TAU/EIU/Legal)
Dy. CST & E (HQ./GST/IT/EIU/Excise/LTPU/Legal/A. Tax)
Dy. / Asstt. Controller (F&A)
Supdt. Grad. P. O./NO. 1 OFFICER
PS/PA/Rea

Commissioner
Himachal Pradesh
State Tax & Excise
Shimla-2

विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

State Taxes and Excise Deptt.
Dy. Commr.
27th
21 FEB 2026
Shimla-2

Misra
21/2/26
DA/AT